डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम
पीठासीन अधिकारीः– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस
उनवान

हरिसिंह पुत्र श्री नंगू जाति गूर्जर निवासी कंजौली तहसील टोडाभीम जिला करौली।

बनाम

1. ब्रह्मा देवी पत्नि स्व0 रामस्वरूप
2. पप्पी पुत्री रामस्वरूप
3. रामकेश दत्तक पुत्र रामनिवास नाबालिग जरिये पिता रामनिवास
   समस्त जाति गूर्जर निवासी कंजोली तहसील टोडाभीम जिला करौली
4. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।
5. उप पंजीयक टोडाभीम

दावा बावत इस्तकरारहक व स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0 67/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट मिनकानिब गुदई रूबरू श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। कि

अतः वादी का दावा बावत घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा साक्ष्य/सबूत के अभाव मे खारिज किया जाता है।

निज.....मुबलिंग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक..... .अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 29.10.2020 को जारी की गई।

29/10/2020
(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला करौली

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 67/16 तारीख रजू:– 12.7.2016

पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

हरिसिंह पुत्र श्री नंगू जाति गूर्जर निवासी कंजौली तहसील टोडाभीम जिला करौली।

बनाम

1. ब्रह्ममा देवी पत्नि स्व0 रामस्वरूप
2. पप्पी पुत्री रामस्वरूप
3. रामकेश दत्तक पुत्र रामनिवास नाबालिग जरिये पिता रामनिवास
   समस्त जाति गूर्जर निवासी कंजोली तहसील टोडाभीम जिला करौली
4. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।
5. उप पंजीयक टोडाभीम

दावा बावत इस्तकरारहक व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति:– श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट (वादी)

श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट (प्रतिवादी न0 1 व 2)

निर्णय दिनांक:– 29.10.2020

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम कंजौली स्थित खाता संख्या 113 में खसरा न0 17/0.04, 31/0.28, 1619/0.22, 1620/0.17, 1621/0.02, 1635/0.40, 1636/0.37, 2136/0.59, 2140/2735/0.06, 2141/0.54 हेक्टयर कुल खसरा नम्बर 10 कुल क्षेत्रफल 2.69 हेक्टयर में वादी हरिसिंह हिस्सा 3/10 का खातेदार काश्तकार है।

खाता संख्या 155 में वर्णित भूमि खसरा नं0 16/0.05, 220/0.13, 221/0.08, 228/0.07, 229/0.34, 244/0.24, 252/0.06, 1629/0.17, 1630/0.21, 2056/0.07, 2057/0.46, 2058/0.05, 2137/2736/0.04, हेक्टयर कुल खसरा नम्बर 13 कुल क्षेत्रफल 1.97 हेक्टयर में वादी हरिसिंह हिस्सा 3/5 का खातेदार काश्तकार है।

खाता संख्या 157 में वर्णित भूमि खसरा नं0 210/0.05, 225/0.09, 250/0.24, 251/0.12, हेक्टयर कुल खसरा नम्बर 04 कुल क्षेत्रफल 0.50 हेक्टयर में वादी हरिसिंह हिस्सा 3/5 का खातेदार काश्तकार है।

खाता संख्या 158 में वर्णित भूमि खसरा नं0 246/0.05 हेक्टयर कुल खसरा नम्बर 01 कुल क्षेत्रफल 0.05 हेक्टयर में वादी हरिसिंह हिस्सा 1/5 का खातेदार काश्तकार है।

खाता संख्या 448 में वर्णित भूमि खसरा नं0 2575/0.06, 2576/0.46, 2577/0.03, 2578/0.01, 2579/0.01, 2580/0.46, 2581/0.17, 2582/0.05, 2583/0.11, 2588/0.35, 2589/0.34, हेक्टयर कुल खसरा नम्बर 11 कुल क्षेत्रफल 2.05 हेक्टयर में वादी हरिसिंह हिस्सा 1/5 का खातेदार काश्तकार है।

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-करौली

खाता संख्या 470 में वर्णित भूमि खसरा नं0 1924/0.10, 1925/0.10, 1926/0.10, /0.11, कुल खसरा नम्बर 04 कुल क्षेत्रफल 0.41 हेक्टयर में वादी हरिसिंह हिस्सा 0 का खातेदार काश्तकार है।

उक्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण की पुस्तैनी भूमि है जो उनके बुजुर्ग सुखचन्द रासत में मिली है। सुखचन्द के दो पुत्र नंगू व रामी हैं। रामी लाऔलाद फौत हो गया है नंगू के वादी हहिसिंह, रामस्वरूप, रामप्रसाद, रामनिवास पुत्र हैं तथा हरवाई बेवा है। वरूप, रामप्रसाद व रामनिवास व हरवाई की मृत्यु हो चुकी है। रामनिवास का दत्तक पुत्र ेश है तथा रामस्रूप की ब्रहा देवी पत्नि व पप्पी पुत्री है। हरवाई ने अपने हिस्से व दारी कराने का हक त्याग अपने बडे पुत्र हरिसिंह को अपने मृत्यु से पूर्व दिनांक 22.04. को लिखित में 10/– रूपये के स्टाम्प पर कर दिया है जिसमें अपने समस्त अधिकार मि में हिस्सा हरिसिंह को दिया है तथा खातेदारी कराने का हक दिया है तथा हरिसिंह ो माता हरवाई की भूमि पर बतौर खातेदार काविज है। वादी के खास भाई रामप्रसाद की भी हो चुकी है उसकी कोई औलाद नही थी, उसने भी अपने हिस्से की जमीन का त्र अपने भाई वादी हरिसिंह को दिया है तथा यह लिखा है कि मेरे कोई संतान नही है, हिस्से की खेती की भूमि व जायदाद को दान कर दी है तथा हरिसिंह ही मेरी सम्पूर्ण न का मालिक रहेगा। भाई रामस्वरूप की पत्नि व पुत्री का कोई हक नही होगा और नाहि न्हे देना चाहता हूँ। वादी उक्त रामप्रसाद की हिस्से की भूमि व जमीन जायदाद पर बतौर दार काविज हैं। नंगू व रामे की विरासत का नामान्तकरन खुलते समय उनके पुत्र प्रसाद का हिस्सा नही आया था। जबकि रामप्रसाद भी नंगू व रामी की जमीन का वारिस और रामप्रसाद की मृत्यु के वाद वादी उसकी चल व अचल सम्पत्ति का खातेदार व दार है। इस प्रकार वादी भूमि में दर्ज हिस्से के अनुसार खातेदार काश्तकार है तथा अपने में खातेदारी कराने के हकदार है।

प्रतिवादी नं0 1 ता 3 के नाम रिकार्ड में खातेदारी ज्यादा दर्ज होने के कारण दिनांक 24. 2012 को वादी ने प्रतिवादीगण से कहा की भाईयो तहसील टोडाभीम में चलकर मेरे भाई प्रसाद व हरवाई की जमीन की मेरे नाम खातेदारी करा दो व बयान कर दो इस पर वे ार हो गये और भूमि को किसी दीगर व्यक्ति को रहन, व्यय व भूमि से बेदखल करने की की दी। इसलिये यह वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ है

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादी न0 1 ता 3 ग्राम कंजोली स्थित आराजी रा न0 17/0.04, 31/0.28, 1619/0.22, 1620/0.17, 1621/0.02, 1635/0.40, 6/0.37, 2136/0.59, 2140/2735/0.06, 2141/0.54 हेक्टयर कुल खसरा नम्बर 10 क्षेत्रफल 2.69 हेक्टयर में वादी हरिसिंह हिस्सा 3/10 खसरा नं0 16/0.05, 220/0.13, /0.08, 228/0.07, 229/0.34, 244/0.24, 252/0.06, 1629/0.17, 1630/0.21, 6/0.07, 2057/0.46, 2058/0.05, 2137/2736/0.04, हेक्टयर कुल खसरा नम्बर 13 क्षेत्रफल 1.97 हेक्टयर में वादी हरिसिंह हिस्सा 3/5 खसरा नं0 210/0.05, 225/0.09, /0.24, 251/0.12, हेक्टयर कुल खसरा नम्बर 04 कुल क्षेत्रफल 0.50 हेक्टयर में वादी सिंह हिस्सा 3/5 खसरा नं0 246/0.05 हेक्टयर कुल खसरा नम्बर 01 कुल क्षेत्रफल 0.05 टयर में वादी हरिसिंह हिस्सा 1/5 खसरा नं0 2575/0.06, 2576/0.46, 2577/0.03, 8/0.01, 2579/0.01, 2580/0.46, 2581/0.17, 2582/0.05, 2583/0.11, 2588/0.35, 9/0.34, हेक्टयर कुल खसरा नम्बर 11 कुल क्षेत्रफल 2.05 हेक्टयर में वादी हरिसिंह सा 1/5 खसरा नं0 1924/0.10, 1925/0.10, 1926/0.10, 1927/0.11, कुल खसरा र 04 कुल क्षेत्रफल 0.41 हेक्टयर मे वादी हरिसिंह हिस्सा 1/20 का खातेदार घोषित या जावे एवं रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे किसी दीगर व्यक्ति को रहन व्यय ी करे तथा प्रतिवादी न0 4 उक्त भूमि के संवध मे रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा

(ओम प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-करौली

ा न0 5 उक्त भूमि के संबध मे किसी प्रकार का रहन, विक्रय आदि के दस्तावेज को ई व पंजीबद्व नही करे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी 4, 5 बाबजूद सूचना उपस्थित नही होने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। ी न0 1 व 2 ने जरिये वकालतन उपस्थित होकर जबाब पेश किया कि वादपत्र मे सजरा सही नही है। व वादपत्र मे वर्णित वादी का हिस्सा होना स्वीकार नही है। वादी ादीगण 1 ता 3 को उनके बुजुर्गो से विरासत मिली होना तथा सुखचन्द के दो पुत्र रामी होना, जिसमे रामी लाऔलाद फौत होना तथा गंगू के पुत्र हरिसिंह, रामरूवरूप, द, रामनिवास व हरबाई होना तथा रामस्वरूप, रामप्रसाद, रामनिवास व हरबाई की मृत्यु था रामनिवास का दत्तक पुत्र रामकेश होना तथा रामस्वरूप के ब्रहामा देवी पत्नि होना क पुत्री पप्पी होना स्वीकार है शेष इबारत गलत है क्योकि हरबाई बेवा नंगू द्वारा वादी नी मृत्यु से पूर्व तथाकथित हकत्याग पत्र तारीखी 22.4.2010 बिल्कुल फर्जी है। उक्त वादी द्वारा बिल्कुम फर्जी तैयार किया है नाही वादी हरबाई के हिस्से की भूमि को री कराने के अधिकारी है नाही वादी हरबाई के हिस्से पर काबिज है। तथा वादी का हना भी गलत है कि रामप्रसाद जो लाऔलाद होने के कारण रामप्रसाद ने अपने हिस्से मे को दान कर दी हो, तथा वादी के हक मे कोई तथाकथित दान पत्र किया गया हो, प्रसाद के हिस्से पर काबिज हो। वादी का यह कहना भी गलत है कि नंगू व रामी की ोने पर विरासत का नामांतकरण खुलते समय रामप्रसाद का हिस्सा नही आया है बल्कि ात यह है कि रामप्रसाद की मृत्यु नंगू व रामी के जीवनकाल मे होने के कारण विरासत ांतकरण नही खुला। वादी तथाकथित फर्जी हकत्याग तारीखी 22.4.2010 व तथाकथित ा प्रतिवादीगण की जानकारी मे नही होने के कारण फर्जी व अनस्टाम्प होने के कारण ले प्रतिवादी नल एण्ड बोईड है जिसकी कानून मे कोई मान्यता नही है। वादी ने महज ीगण की कब्जे की खातेदारी की भूमि को हडपने की गरज से यह झूठा दावा पेश है, वादी का यह कहना गलत है कि प्रतिवादी न0 1 ता 3 के ज्यादा खातेदारी दर्ज हो तथा वादी का रामप्रसाद व हरबाई की भूमि से कोई संबध नही है। नाही वादी व ीगण के मध्य दिनांक 24.7.2012 या कभी भी भूमि को लेकर बाते हुई है। क्योकि जब हरबाई व रामप्रसाद की जमीन से कोई संबध ही नही है तो उसे बदेखल करने की देने का प्रश्न ही पैदा नही होता तथा नाही वादी को कोई विनायदावा पैदा हुआ है। ये दावा वादी खारिज किये जाने योग्य है।

के समर्थन मे निम्न प्रकार तनकी कायम की गईः–

आया यह है कि वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही कुटुम्ब के है। वाद पत्र के मद न0 2,3, 4, 5, 6 मे वर्णित आराजीयात मे हिस्से अनुसार खातेदार हूँ। जो उनके बुजुर्ग सुखचन्द से मिली है। हरबाई ने अपने हिस्से की भूमि का हकत्याग 10रू के स्टाम्प पर वादी के हक मे दिनांक 22.4.2010 को कर दिया है भाई रामप्रसाद ने भी अपने हिस्से की जमीन को वादी को दान कर दी। उक्त भूमि की खातेदारी अपने नाम कराने का हकदार हूँ। (जिम्मे वादी)

आया यह है कि वादी के कब्जे काश्त मे बाधा नही करने के लिये प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का हकदार हूँ। (जिम्मे वादी)

आया यह है कि वादी ने वादपत्र मे गलत हिस्सा दर्ज किया है तथाकथित हकत्याग तारीखी 22.4.2010 फर्जी है, रामप्रसाद की भूमि के दान करने संबधी कथन भी गलत है। दोनो हिस्सो की खातेदारी वादी अपने नाम कराने का हकदार नही है मौके पर कब्जा काश्त नही है। वादी का दावा एकदम गलत व झूठा है वादी का दावा खाजिर योग्य है। (जिम्मे प्रतिवादी)

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-करौली

ाया यह है कि वादी का कब्जाकाश्त नहो होने तथा प्रतिवादियो द्वारा कोई धमकी ही दिये जाने से प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द नही किया जा सकता : । वादी का दावा खारिज योग्य है। (जिम्मे प्रतिवादी)

वादी ने वादपत्र के समर्थन मे स्वंय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया किन्तु प्रतिवादी से वास्ते जिरह उपस्थित नही हुये है। वादी द्वारा किसी भी प्रकार के कोई दस्तावेजी बूत प्रस्तुत नही किये है। प्रतिवादी वकील द्वारा भी कोई साक्ष्य पेश नही कर सीधे ही रने का कथन किया। वादी वकील ने बहस करने पर सहमति दर्ज कराई।

वादी वकील ने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराया तथा वादी का दावा डिक्री किये ा कथन किया। वकील प्रतिवादी ने जबाब दावे मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये कथन के वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन मे किसी भी प्रकार के कोई दस्तावेजी साक्ष्य स्तुत नही किये है नाही वास्ते जिरह न्यायालय मे उपस्थित आये है। बिना साक्ष्य सबूत ा दावा साबित नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा ादपत्र मे समर्थन मे अपने शपथ पत्र के अलावा हकत्याग पत्र दिनांक 20.4.2010 की ति, एवं लिखावट दिनांक 13.7.2008 की फोटोप्रति, हरबाई के मृत्युप्रमाण पत्र की फोटो ा अवलोकन किया गया। हकत्याग पत्र हरबाई बहक हरिसिंह उपपंजीयक कार्यालय से : नही होकर अनरजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड हकत्याग एवं लिखावट के आधार पर वादी वा डिक्री नही किया जा सकता है। अन्य किसी भी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य सबूत नही किये है। अनरजिस्टर्ड दस्तावेजो एवं साक्ष्य सबूत के अभाव मे वादी का दावा इस्तकरारहक व स्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाना उचित पाता हूँ।

अतः वादी का दावा बावत इस्तकरारहक एवं स्थायी निषेधाज्ञा साक्ष्य/सबूत के अभाव रिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2020 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया

29/10/2020
(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला करौली

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली